

सामाजिक अनुसन्धान का महत्व

(SIGNIFICANCE OF SOCIAL RESEARCH)

वर्तमान युग परिवर्तन और नियोजन का युग है। परिवर्तन ने जहाँ एक ओर मानवीय मूल्यों एवं सामाजिक संरचना को एक नवीन रूप दिया है, वहीं इसके फलस्वरूप समाज में अनेक नवीन समस्याओं का भी प्रादुर्भाव हुआ है। वास्तविकता तो यह है कि हमारा सामाजिक जीवन जैसे-जैसे जटिल होता जा रहा है, उसका वैज्ञानिक अध्ययन करना उतना ही आवश्यक हो गया है। सामाजिक अनुसन्धान की उपयोगिता इसी तथ्य से स्पष्ट हो जाती है कि आज अनुसन्धान के द्वारा ही विभिन्न प्रकार की समस्याओं का निष्पक्ष रूप से वैज्ञानिक अध्ययन करके प्रामाणिक तथ्यों को प्राप्त किया जा सकता है। यहीं तथ्य सिद्धान्तों का निर्माण करके भावी प्रवृत्तियों को स्पष्ट करने में सहायक होते हैं। आज जैसे-जैसे सामाजिक नियोजन के प्रति हमारी जागरूकता बढ़ रही है, सामाजिक अनुसन्धान के द्वारा ही उपयोगी ज्ञान प्राप्त करके मानवीय कल्याण में वृद्धि करना सम्भव है। इस दृष्टिकोण से विभिन्न क्षेत्रों में सामाजिक अनुसन्धान की उपयोगिता अथवा महत्व को निमांकित रूप से समझा जा सकता है—

(1) **नवीन ज्ञान की प्राप्ति** (Acquisition of New Knowledge)—सामाजिक अनुसन्धान का सबसे महत्वपूर्ण उपयोग नवीन ज्ञान की प्राप्ति से सम्बन्धित है। नवीन ज्ञान से केवल मनुष्य की जिज्ञासाओं का ही समाधान नहीं होता बल्कि इसके द्वारा हमें वह उपयोगी ज्ञान भी प्राप्त होता है जिसकी सहायता से प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़ा जा सके। नवीन ज्ञान समाज का नये सिरे से पुनर्निर्माण करने में भी सहायक होता है। इस सन्दर्भ में हेरिंग (P. Herring) ने लिखा है, “अनुसन्धान का प्रत्यक्ष कार्य ज्ञान के वर्तमान भण्डार में नवीन ज्ञान को जोड़ना है”¹ सच तो यह है कि मानव सभ्यता का सम्पूर्ण इतिहास ज्ञान के सृजन पर ही निर्भर रहा है। इस दृष्टिकोण से सामाजिक अनुसन्धान को केवल एक बौद्धिक प्रयास ही न मानकर इसे सभ्यता के विकास का वास्तविक आधार भी स्वीकार किया जाना चाहिए।

(2) **अज्ञानता की समाप्ति** (Removal of Ignorance)—मानव चाहे कितनी ही प्रगति क्यों न कर ले लेकिन हमारा जीवन आज भी अज्ञानता में डूबा हुआ है। हमारे जीवन के चारों ओर जितने तथ्य और समस्याएँ हैं, उनके एक छोटे-से भाग को अभी तक नहीं समझा जा सका है। सामाजिक अनुसन्धान ही एकमात्र ऐसा आधार है जिसके द्वारा मानव धीरे-धीरे अपनी अज्ञानता को समाप्त कर सकता है। हमारे समाज में आज क्षेत्रवाद, भाषावाद, जातिवाद, वर्गवाद, भ्रष्टाचार, युवा तनाव, अपराध, धर्म, नैतिकता और मनोरंजन में पतन जैसी जो विषम समस्याएँ विद्यमान हैं, उनके वास्तविक कारणों को अनुसन्धान के द्वारा ज्ञात करके ही इनके प्रभाव को कम किया जा सकता है। इसका तात्पर्य यह है कि अनुसन्धान की सहायता से हम उन आधारों की वास्तविकता को समझ सकते हैं जो विभिन्न मानव समूहों में तनाव उत्पन्न करके उन्हें एक-दूसरे से पृथक् कर रहे हैं।

(3) **समाज कल्याण में सहायक** (Helpful in Social Welfare)—समाज कल्याण वर्तमान जीवन की प्रमुख आवश्यकता है। विभिन्न सामाजिक अनुसन्धानों से यह स्पष्ट हो चुका है कि समाज की संरचना में विद्यमान तत्व ही विभिन्न समस्याओं का वास्तविक कारण होते हैं। सामाजिक अनुसन्धान के द्वारा इन तत्वों का ज्ञान प्राप्त करके समाज को अधिक संगठित किया जा सकता है। कुछ व्यक्ति ऐसा समझते हैं कि समाज कल्याण केवल सरकार का दायित्व है तथा केवल विभिन्न कार्यक्रमों के द्वारा ही इसमें वृद्धि की जा सकती है। वास्तविकता यह है कि समाज कल्याण से सम्बन्धित कोई भी कार्यक्रम तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक अनुसन्धान से प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर उसे एक व्यावहारिक स्वरूप प्रदान न किया जाय। इस दृष्टिकोण से सामाजिक अनुसन्धान को समाज कल्याण का वास्तविक आधार माना जा सकता है।

1 “The obvious function of research is to add new knowledge to the existing store....”
—P. Herring, *Research for Public Policy*, p. 15.

(4) सामाजिक नियन्त्रण में सहायक (Helpful in Social Control)—जब कभी भी कोई समाज परिवर्तन की प्रक्रिया में होता है तो अक्सर सामाजिक विघटन को प्रोत्साहन देता है। सामाजिक अनुसन्धान द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में उत्पन्न असनुलन की जानकारी प्राप्त करके सामाजिक जीवन को अधिक स्वस्थ बनाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, सामाजिक अनुसन्धान के द्वारा ही उन प्रक्रियाओं का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है जिनके द्वारा मानवीय सम्बन्धों को अधिक व्यवस्थित बनाया जा सके। इसका तात्पर्य यह है कि सामाजिक अनुसन्धान केवल ज्ञान ही प्रदान नहीं करता बल्कि सामाजिक नियन्त्रण के लिए दृढ़ आधार भी प्रदान कर सकता है।

(5) प्रशासन एवं समाज-सुधार में सहायक (Helpful in Administration and Social Reform)—गुणे तथा हाट का कथन है कि “अनुसन्धान की प्रक्रिया का ज्ञान केवल अनुसन्धानकर्ताओं के लिए ही लाभप्रद नहीं है बल्कि उनके लिए भी अत्यधिक उपयोगी है जो प्रशासनिक सेवाओं में उच्च पदों पर आसीन हैं।” इसका तात्पर्य यह है कि एक प्रशासक विभिन्न दशाओं में एक प्रभावपूर्ण भूमिका तभी निभा सकता है जब वह अपने चारों ओर की वास्तविक दशाओं से परिचित हो तथा विभिन्न समस्याओं के आधारभूत कारणों को जानता हो। ऐसा ज्ञान उसे अनुसन्धान पर आधारित निष्कर्षों से ही प्राप्त हो सकता है। समाज-सुधारकों में उत्साह अवश्य होता है लेकिन उनके साधन इतने सीमित होते हैं कि वे स्वर्य ही विभिन्न समस्याओं की वास्तविकता को ज्ञात नहीं कर सकते। ऐसी स्थिति में यह कार्य अनुसन्धानकर्ताओं का है कि वे ऐसा उपयोगी ज्ञान प्रदान करें जिसकी सहायता से समाज-सुधारक अपने दायित्व का कुशलतापूर्वक निर्वाह कर सकें।

(6) भविष्यवाणी का आधार (Basis of Social Prediction)—सामाजिक अनुसन्धान इस दृष्टिकोण से भी अत्यधिक उपयोगी है कि इसकी सहायता से हम भविष्य में उत्पन्न होने वाली दशाओं का पहले से ही ज्ञान प्राप्त करके उनका निराकरण करने के उपाय ढूँढ़ सकते हैं। भावी प्रवृत्तियों का जब हमें पहले से ही ज्ञान हो जाता है तो उनके उत्पन्न होने पर हम उनसे शीघ्र ही अभियोजन कर लेते हैं जिसके फलस्वरूप समाज विघटित होने से बच जाता है। इस दृष्टिकोण से सामाजिक अनुसन्धान द्वारा दी गई भविष्यवाणियाँ वर्तमान और भविष्य के बीच सन्तुलन स्थापित करने में सहायक होती हैं।

(7) सामाजिक विज्ञानों के विकास में सहायक (Helpful in the Development of Social Sciences)—सामाजिक अनुसन्धान द्वारा प्राप्त ज्ञान विभिन्न सामाजिक विज्ञानों के विकास में अत्यधिक सहायक सिद्ध हो सकता है। वास्तव में, समाजशास्त्र एक एकाकी विज्ञान नहीं है बल्कि इसका विकास बहुत बड़ी सीमा तक अन्य सामाजिक विज्ञानों के विकास से जुड़ा हुआ है। इस प्रकार अन्य सामाजिक विज्ञानों का विकास समाजशास्त्रीय ज्ञान को भी सुदृढ़ बना सकता है। सामाजिक अनुसन्धान के द्वारा जब अध्ययन की नई प्रविधियों और उपकरणों का विकास होता है तो इससे प्रत्येक समाज विज्ञान को अपना विकास करने के अवसर प्राप्त होते हैं। इसके अतिरिक्त, सामाजिक ज्ञान की किसी एक शाखा द्वारा जो निष्कर्ष प्रस्तुत किये जाते हैं, वे अन्य समाज विज्ञानों की विषय-सामग्री को प्रामाणिक बनाने में भी उपयोगी सिद्ध होते हैं। सच तो यह है कि सभी सामाजिक विज्ञान किसी-न-किसी रूप में मानवीय सम्बन्धों, सामाजिक प्रक्रियाओं तथा सामाजिक घटनाओं का ही अध्ययन करते हैं। इस प्रकार सामाजिक अनुसन्धान सामाजिक ज्ञान की चाहे किसी भी शाखा से सम्बन्धित हो, वह विभिन्न सामाजिक विज्ञानों के बीच पारस्परिक निर्भरता को प्रोत्साहन देकर उनमें विकास का मार्ग प्रशस्त करते हैं।

(8) उपकल्पना की जाँच का आधार (Basis of Testing of Hypothesis)—वास्तव में प्रत्येक सामाजिक अनुसन्धान का उद्देश्य हमारे चारों ओर व्याप्त सामाजिक तथ्यों की व्यवस्थित जानकारी करना तथा तथ्यों के बीच पाये जाने वाले सह-सम्बन्धों को ज्ञात करना होता है। इनकी जानकारी तब तक प्राप्त नहीं की जा सकती जब तक हम विभिन्न घटनाओं से सम्बन्धित कुछ उपकल्पनाओं का निर्माण करके उनकी वैज्ञानिक ढंग से जाँच न करें। सामाजिक अनुसन्धान वह महत्वपूर्ण आधार है जिसके द्वारा हम विभिन्न उपकल्पनाओं की जाँच करके किसी वास्तविक निष्कर्ष

तक पहुँचत हैं। इसका तात्पर्य है कि उपकल्पना की जाँच के द्वारा सामाजिक अनुसन्धान ऐसे तार्किक निष्कर्ष प्रदान करता है जिनकी सहायता से उपयोगी सिद्धान्तों का निर्माण सम्भव हो जाता है। वास्तव में, अधिकांश सामाजिक सिद्धान्त सर्वकालिक नहीं होते। सामाजिक आवश्यकताओं, मूल्यों और मानवीय ज्ञान के परिवर्तन के साथ इनकी उपयोगिता में परिवर्तन होता रहता है। सामाजिक अनुसन्धान के द्वारा ही यह ज्ञात किया जा सकता है कि अतीत के सिद्धान्त वर्तमान दशाओं में किस सीमा तक उपयोगी अथवा अनुपयोगी हैं।

(9) मध्यवर्ती सिद्धान्तों का विकास (Development of Middle Range Theories)—मर्टन ने मध्यवर्ती सिद्धान्तों के निर्माण में सामाजिक अनुसन्धान को विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना है। हम जिन घटनाओं के बीच रहते हैं, साधारणतया हम उन्हें बहुत सामान्य रूप से देखते हैं। यदि आनुभविक रूप से हम अपने चारों ओर फैली विभिन्न घटनाओं के कारणों और परिणामों पर विचार करने लगें तो इससे किसी समूह, संगठन या समुदाय के बारे में ऐसे निष्कर्ष प्राप्त होने लगते हैं जिनकी सहायता से वृहत् समाजशास्त्रीय सिद्धान्तों को विकसित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, स्टफर तथा उनके साथियों ने जब अमेरिकन सैनिकों की मनोवृत्तियों का आनुभविक आधार पर अध्ययन किया तो तुलनात्मक अभावबोध (Relative Deprivation) जैसे मध्य अभिसीमा सिद्धान्त को प्रस्तुत करना सरल हो गया। इससे स्पष्ट होता है कि सामाजिक अनुसन्धान घटनाओं को व्यवस्थित रूप से समझने का उपयोगी आधार है।

(10) सामाजिक प्रवृत्तियों की जानकारी में सहायक (Helpful in Understanding Social Trends)—हमारा सामाजिक जीवन इतना जटिल और परिवर्तनशील है कि इससे सम्बन्धित सामाजिक तथ्यों के बारे में कोई निश्चित भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। हम अधिक-से-अधिक घटनाओं के घटित होने की एक सामान्य प्रवृत्ति की ही जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसका तात्पर्य है कि किसी नियम, व्यवहार अथवा नीति के प्रति विभिन्न वर्गों और समूहों के लोगों की सामान्य मनोवृत्तियाँ पक्ष में हैं अथवा विपक्ष में अथवा यह कि इस पक्ष या विपक्ष की तीव्रता क्या है ? इसकी जानकारी देने में सामाजिक अनुसन्धान का विशेष महत्व है। समाज की सामान्य प्रवृत्तियों के आधार पर ही सामाजिक नीतियों का निर्माण किया जाता है। इस क्षेत्र में एक सामाजिक अनुसन्धानकर्ता की भूमिका तटस्थ अवलोकनकर्ता की होती है। फलस्वरूप उसके द्वारा एकात्रित की गयी सूचनाएँ अधिक निष्पक्ष होती हैं।

(11) सामाजिक घटनाओं में व्याप्त नियमों की जानकारी (Knowledge of Rules Governing Social Phenomena)—वर्तमान युग में सामाजिक अनुसन्धान को इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है कि इसी की सहायता से उन नियमों की जानकारी प्राप्त की जा सकती है जिनके अनुसार विभिन्न सामाजिक घटनाएँ घटित होती हैं। जिस तरह प्राकृतिक घटनाएँ कुछ निश्चित नियमों के अनुसार घटित होती हैं तथा विज्ञान का काम उन नियमों की जानकारी प्राप्त करके उनका अपने लाभ के लिए उपयोग करना होता है, उसी तरह सामाजिक अनुसन्धान से हमें कार्य-कारण सम्बन्धी उन नियमों की जानकारी मिलती है जिनकी सहायता से सामाजिक जीवन को अधिक संगठित और प्रगतिशील बनाया जा सकता है। वास्तव में, प्रत्येक सामाजिक घटना, क्रिया, व्यवहार तथा मनोवृत्ति का कोई आधारभूत कारण अवश्य होता है। सामाजिक अनुसन्धान के द्वारा इन कारणों को ज्ञात करके उनके परिणामों का मूल्यांकन किया जा सकता है तथा समय की आवश्यकता के अनुसार उनमें परिवर्तन लाना भी सम्भव हो जाता है। यही कारण है कि विकसित और विकासशील देशों की सरकारें सामाजिक नियोजन की सफलता के लिए सामाजिक अनुसन्धान पर बड़ी धनराशियाँ व्यय करती हैं।

सामाजिक अनुसन्धान के इस सम्पूर्ण विवेचन से स्पष्ट होता है कि सामाजिक जीवन का आज कोई भी पक्ष ऐसा नहीं है जिसे अनुसन्धान के अभाव में समुचित रूप से समझा जा सके। सामाजिक अनुसन्धान का उद्देश्य केवल सैद्धान्तिक ज्ञान में वृद्धि करना ही नहीं होता बल्कि मानवीय समस्याओं

का समाधान खोजने तथा भावी चुनौतियों का प्रत्युत्तर देने में भी यह उतना ही अधिक सहायक है। आज यह कल्पना भी नहीं की जा सकती कि सामाजिक अनुसन्धान के बिना सामाजिक जीवन को संगठित और प्रगतिशील बनाया जा सकता है। इस दृष्टिकोण से सामाजिक अनुसन्धान की प्रकृति तथा इससे सम्बन्धित विभिन्न पक्षों को समझना समाज के प्रत्येक वर्ग के लिए उतना ही अधिक आवश्यक है जितना कि बौद्धिक निपुणता प्राप्त करने के लिए विद्यार्थियों का जागरूक होना आवश्यक है।

सामाजिक अनुसन्धान की सीमाएँ अथवा समस्याएँ (LIMITATIONS OR PROBLEMS OF SOCIAL RESEARCH)

सामाजिक अनुसन्धान के महत्व को देखते हुए यह नहीं मान लेना चाहिए कि यह एक दोष-रहित विधि है। प्रत्येक सामाजिक विज्ञान में अनुसन्धान सम्बन्धी कुछ विशेष समस्याएँ अवश्य होती हैं। जब हम सामाजिक जीवन के विभिन्न पक्षों का अध्ययन करते हैं, तब हमें अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। यही कठिनाइयाँ सामाजिक अनुसन्धान की सीमाएँ हैं। इन्हें संक्षेप में निम्नांकित रूप से समझा जा सकता है—

(1) सामाजिक घटनाओं की जटिलता (Complexity of Social Phenomena)— साधारणतया सामाजिक अनुसन्धान के द्वारा केवल उन्हीं घटनाओं का अध्ययन सम्भव है जो मूर्त अथवा स्थूल प्रकृति की हों। इसके विपरीत, सामाजिक जीवन से सम्बन्धित अधिकांश घटनाएँ अमूर्त अथवा अदृश्य होती हैं जिसके फलस्वरूप अनुसन्धान द्वारा उनकी वास्तविक प्रकृति को समझना बहुत कठिन हो जाता है। उदाहरण के लिए, जनसंख्या का आकार, रहन-सहन का स्तर, स्वास्थ्य की दशाएँ अथवा आवासीय दशाएँ; कुछ मूर्त घटनाएँ हैं जिनका अनुसन्धान के द्वारा सरलता से अध्ययन किया जा सकता है। दूसरी ओर, यदि हम व्यक्तियों के पारस्परिक सम्बन्धों, उनकी मनोवृत्तियों, आकांक्षाओं, सांस्कृतिक विशेषताओं, परम्पराओं तथा सामाजिक मूल्यों का अध्ययन करना चाहें तो इनकी प्रकृति अमूर्त होने के कारण अनुसन्धान के द्वारा वास्तविक तथ्यों को ज्ञात कर सकना बहुत कठिन हो जाता है।

(2) अवधारणाओं में स्पष्टता की कमी (Lack of Clarity in Concepts)—प्रत्येक विज्ञान में अवधारणाओं का विशेष महत्व होता है। अवधारणाओं के आधार पर ही प्रत्येक कथन का एक विशेष अर्थ निकालना सम्भव हो पाता है। सामाजिक अनुसन्धान के लिए अवधारणाएँ केवल अर्थ समझने के दृष्टिकोण से ही उपयोगी नहीं होतीं बल्कि इन्हीं की सहायता से सिद्धान्तों का निर्माण करना भी सम्भव होता है। सामाजिक अनुसन्धान की एक प्रमुख समस्या यह है कि अधिकांश अवधारणाओं के बारे में विभिन्न विद्वानों के विचार एक-दूसरे से भिन्न होते हैं। जब एक ही अवधारणा का उपयोग भिन्न-भिन्न अर्थों में किया जाता है तो सामाजिक अनुसन्धान पर आधारित निष्कर्षों का अर्थ भी गलत प्रतीत होने लगता है। उदाहरण के लिए, समाज, समूह, सामाजिक संरचना, सामाजिक मूल्य, सामाजिक व्यवस्था तथा सामाजिकता आदि ऐसे शब्द हैं जिनका अर्थ सुनिश्चित होना अनुसन्धान की सार्थकता के लिए आवश्यक है। दूसरी ओर, जब ऐसी अवधारणाएँ स्पष्ट होती हैं तो उनसे सम्बन्धित निष्कर्षों के बारे में भी कोई एक मत नहीं बन पाता।

(3) अनुसन्धानकर्ता का भावनात्मक लगाव (Emotional Attachment of the Researcher)—सामाजिक अनुसन्धान की एक अन्य आवश्यकता उसमें वैज्ञानिकता अथवा वस्तुनिष्ठता का होना है। इसके विपरीत, अनुसन्धानकर्ता का भावनात्मक लगाव इस वैज्ञानिकता के मार्ग में एक बड़ी बाधा है। एक अनुसन्धानकर्ता जिन सांस्कृतिक मूल्यों और विश्वासों के अन्दर रहते हुए जीवन लिए अक्सर कठिन हो जाता है। उदाहरण के लिए, जाति-व्यवस्था, नैतिकता, धर्म, विभिन्न सामाजिक वर्गों तथा अनुसूचित जातियों के बारे में हमारी अपनी कुछ विशेष भावनाएँ होती हैं। ऐसी भावनाएँ केवल हमारे विश्वासों को ही प्रभावित नहीं करतीं बल्कि इनका हमारे व्यवहार के तरीकों पर ही एक विशेष प्रभाव होता है। प्राकृतिक विज्ञानों में अनुसन्धानकर्ता की अपनी भावनाओं का कोई महत्व

नहीं होता। दूसरी ओर, जब हम किसी सामाजिक विषय पर अनुसन्धान कार्य करते हैं तो अपने भावनात्मक लगाव के कारण हमारे निष्कर्ष अक्सर वस्तुनिष्ठ नहीं रह जाते।

(4) सामान्यीकृत ज्ञान का प्रभाव (Impact of Generalized Knowledge)—हार्ट (C. W. Hart) ने लिखा है कि वैज्ञानिकता का सम्बन्ध वास्तविक ज्ञान से है, सामान्य ज्ञान से नहीं।¹ फिर भी यह सच है कि अधिकांश सामाजिक अनुसन्धान सामान्य ज्ञान से अधिक प्रभावित होते हैं। एक अनुसन्धानकर्ता जिस समुदाय अथवा समूह का अध्ययन करता है, वह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उसका सदस्य भी होता है। व्यक्तिगत आधार पर भी अनुसन्धानकर्ता को उस समुदाय का एक सामान्य ज्ञान अवश्य होता है। अपने इसी सामान्य ज्ञान के आधार पर ही वह उपकल्पनाओं का निर्माण कर सकता है तथा ऐसे निष्कर्ष देने का प्रयत्न कर सकता है जो उसके सामान्य ज्ञान से मिलते-जुलते हों। बहुत-से मानवशास्त्रियों द्वारा विभिन्न जनजातियों के बारे में किये गये अनुसन्धान कार्यों में इतने रोचक विवेचन दे दिये गये हैं जो वास्तविकता से बिल्कुल भिन्न हैं। अक्सर अनुसन्धानकर्ता को यदि अपने सामान्य ज्ञान से भिन्न तथ्य प्राप्त होते हैं तो वह उन्हें असत्य मानकर उनमें इच्छानुसार संशोधन कर लेता है। स्पष्ट है कि अनुसन्धानकर्ता का सामान्य ज्ञान सामाजिक अनुसन्धान की सत्यता के लिए एक बड़ी समस्या बन जाता है।

(5) माप की प्रविधियों की कमी (Lack of Techniques of Measurement)—सामाजिक अनुसन्धान में अनेक ऐसी घटनाओं का विशेष स्थान होता है जो अपनी प्रकृति से गुणात्मक होती हैं। सामाजिक सम्बन्ध, सामाजिक मनोवृत्तियाँ तथा सामाजिक मूल्य इसी तरह की विशेषताएँ हैं। इन गुणात्मक विशेषताओं की उस तरह माप-तोल नहीं की जा सकती, जिस तरह प्राकृतिक विज्ञानों में उनका अध्ययन करना सम्भव हो सकता है। यह सच है कि मोरैनो, बोगार्डस, लिकर्ट तथा अनेक दूसरे विद्वानों ने सामाजिक मनोवृत्तियों तथा घटनाओं को मापने के लिए अनेक पैमाने विकसित किये हैं लेकिन इनके आधार पर भी मानव मनोवृत्तियों की सुनिश्चित माप कर सकना अत्यधिक कठिन है। इन पैमानों के आधार पर जो निष्कर्ष निकलते हैं, उनका सम्बन्ध सांख्यिकीय गणनाओं से होने के कारण उनमें पूरी तरह स्पष्टता नहीं आ पाती। दूसरी बात यह है कि अमूर्त घटनाओं का अध्ययन करने वाले पैमाने एक सामाजिक अनुसन्धानकर्ता के लिए आज भी उपलब्ध नहीं हैं। यही कारण है कि सामाजिक अनुसन्धान को प्राकृतिक घटनाओं के अनुसन्धान के समान यथार्थ नहीं कहा जा सकता।

(6) प्रयोग का अभाव (Lack of Experimentation)—अधिकांश विद्वान प्रयोग को विज्ञान का आवश्यक आधार मानते हैं। जब हम प्रयोगशाला में विभिन्न पदार्थों के बारे में प्रयोग करके कोई निष्कर्ष देते हैं तो इसमें अध्ययनकर्ता की इच्छा का कोई महत्व नहीं होता। इसके विपरीत, सामाजिक अनुसन्धान के लिए न तो किसी विशेष सामाजिक घटना को नियन्त्रित किया जा सकता है और न ही किसी बच्चे को समाज के प्रभावों का अध्ययन करने के लिए उसे 2-3 वर्ष के लिए एक कमरे में बन्द करके रखा जा सकता है। साम्राज्यिक तनाव का अध्ययन करने के लिए संघर्ष की दशा भी पैदा नहीं की जा सकती। इस दशा में सामाजिक अनुसन्धान के लिए हमारे अधिकांश निष्कर्ष अवलोकन पर ही आधारित रहते हैं। यह अवलोकन हमेशा पक्षपातरहीत हो, इसकी सम्भावना नहीं की जा सकती। स्पष्ट है कि वैज्ञानिक प्रयोग का अभाव सामाजिक अनुसन्धान की एक प्रमुख सीमा है।

(7) सनुचित प्रशिक्षण का अभाव (Lack of Proper Training)—सामाजिक अनुसन्धान की प्रकृति तभी सफल हो सकती है जब अनुसन्धानकर्ता अथवा अनुसन्धान में भाग लेने वाले कार्यकर्ता समुचित रूप से प्रशिक्षित हों। उन्हें यह पूरी जानकारी होना आवश्यक है कि विषय से सम्बन्धित लोगों से किस प्रकार सूचनाएँ प्राप्त की जा सकती हैं तथा किस प्रकार उनका अधिक-से-अधिक सहयोग लिया जा सकता है। इसके विपरीत, साधारणतया अध्ययन की शीघ्रता और धन के अभाव के कारण अनुसन्धान कार्य से सम्बन्धित व्यक्तियों को पर्याप्त प्रशिक्षण नहीं मिल पाता। फलस्वरूप अधिकांश अनुसन्धानकर्ता केवल औपचारिकता को पूरा करने के लिए ही उन तथ्यों को एकत्रित करते रहते हैं जो समुचित निष्कर्ष देने के लिए आवश्यक होते हैं। अक्सर अनुसन्धान से सम्बन्धित कार्यकर्ताओं का उद्देश्य अधिक-से-अधिक

¹ C. W. Hart, 'Some Factors Affecting the Organization and Prosecution of Given Research Projects.' —American Sociological Review.

पारिश्रमिक प्राप्त करना होता है, अध्ययन को वैज्ञानिक बनाना नहीं। स्वाभाविक है कि ऐसे अध्ययन के आधार पर दिये गये निष्कर्ष वैज्ञानिक नहीं हो पाते हैं।

(8) **सूचनादाताओं के मिथ्या कथन (Wrong Statements of the Respondents)**— सामाजिक अनुसन्धान की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि अध्ययन से सम्बन्धित सूचनादाता प्रत्येक सूचना को सही, स्पष्ट और यथार्थ रूप से प्रस्तुत करे। इसके विपरीत, अधिकांश सूचनादाता या तो सूचनाओं को तोड़-मरोड़कर प्रस्तुत करते हैं अथवा उनके द्वारा दी गयी सूचनाएँ कुछ पूर्वाय्रिहों पर आधारित होती हैं। इसके फलस्वरूप भी सामाजिक अनुसन्धान में वस्तुनिष्ठता की कमी हो जाती है। राल्फ पिडिंगटन (Ralph Piddington) ने अनेक ऐसी दशाओं का उल्लेख किया है जिनके कारण सूचनादाताओं द्वारा दी गई सूचनाएँ पक्षपातपूर्ण हो जाती हैं।¹ (i) सूचनादाता जिन तथ्यों को दूसरे लोगों के सामने स्पष्ट करना नहीं चाहता, उनके बारे में वह या तो झूठ बोल देता है अथवा वह उन्हें न जानने का बहाना बना देता है। (ii) अनेक दशाओं में सूचनादाता व्यक्तिगत पसन्द के कारण कुछ तथ्यों को बढ़ा-चढ़ाकर प्रस्तुत कर देता है अथवा अपने किसी लाभ को ध्यान में रखकर वास्तविक तथ्यों को छिपा लेता है। (iii) कभी-कभी सूचनादाताओं द्वारा अनुसन्धानकर्ताओं को वही उत्तर भेज दिये जाते हैं जिन्हें अनुसन्धानकर्ता की पसन्द के अनुकूल समझा जाता है। (iv) अक्सर कुछ तथ्यों की सूचनादाता को कोई जानकारी नहीं होती लेकिन वह गलत सूचनाओं के द्वारा अपने सम्मान को बनाये रखने का प्रयत्न करता है। (v) कुछ उत्तरदाता संकोची प्रकृति के होने के कारण सही सूचनाएँ नहीं दे पाते हैं। इस प्रकार सूचनादाताओं के मिथ्या कथन के कारण भी सामाजिक अनुसन्धान की वैज्ञानिकता सन्देहपूर्ण हो जाती है।

(9) **अध्ययन का सीमित क्षेत्र (Limited Scope of Study)**— सामाजिक अनुसन्धान की एक प्रमुख सीमा इसके अध्ययन-क्षेत्र का बहुत सीमित होना है। इसका तात्पर्य यह है कि बहुत-सी सामाजिक घटनाएँ इस प्रकार की होती हैं जिनका पक्षपातरहित और वैज्ञानिक अध्ययन नहीं किया जा सकता। उदाहरण के लिए, कुछ विशेष प्रकार के श्वेतवसन अपराधियों से उन दशाओं को ज्ञात कर सकना बहुत कठिन है जिनके अन्तर्गत वे अपराध करते हैं। स्वयं अनुसन्धानकर्ता भी यदि कुछ विशेष सूचनाएँ एकत्रित नहीं कर पाता तो वह मनमानी सूचनाओं के आधार पर ऐसे निष्कर्ष प्रस्तुत कर देता है जो उसकी अपनी उपकल्पना अथवा इच्छा के अनुरूप हों। सामाजिक घटनाओं की प्रकृति परिवर्तनशील होने के कारण भी सामाजिक अनुसन्धान का क्षेत्र बहुत सीमित रह जाता है।

(10) **सत्यापन की समस्या (Problem of Verification)**— तकनीकी आधार पर सामाजिक अनुसन्धान से प्राप्त होने वाले निष्कर्षों को तभी वैज्ञानिक माना जा सकता है जब उनकी विश्वसनीयता का सत्यापन (Verification) किया जा सके। इसके विपरीत, अधिकांश सामाजिक घटनाएँ बार-बार घटित नहीं होतीं। इस दशा में जिन घटनाओं के आधार पर हम कुछ निष्कर्ष देते हैं, उनका सत्यापन करना बहुत कठिन हो जाता है।

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट होता है कि सामाजिक अनुसन्धान की अपनी अनेक सीमाएँ हैं, अतः इसका उपयोग बहुत सावधानीपूर्वक होना आवश्यक है। वास्तविकता तो यह है कि सामाजिक अनुसन्धान के लिए चाहे किन्हीं भी वैज्ञानिक पद्धतियों का उपयोग किया जाये लेकिन इसकी वास्तविक सफलता अनुसन्धानकर्ता के वैयक्तिक प्रयत्नों और पक्षपातरहित मनोवृत्ति पर ही आधारित होती है। यही कारण है कि वर्तमान युग में अनेक ऐसी प्रविधियों को विकसित करने का प्रयत्न किया जा रहा है जो अनुसन्धानकर्ता पर नियन्त्रण रखकर अध्ययन को अधिक-से-अधिक वैज्ञानिक बना सकें।